(9)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)
पीठासीन अधिकारीः—कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 127 / 2014
GCMS CASE NO-2020/00038 दायरा दिनांक 06.12.2014

किशनलाल पुत्र बिशनाराम जाति जाट निवासी वार्ड न. 22 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
——प्रार्थी

बनाम

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र बहादर सिंह जाति जाट निवासी चौतिना कुआं के पास सुरेन्द्र मेडिकल स्टोर बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़
3. उप पंजीयक सूरतगढ़

——अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 सपठित धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970

उपस्थितः—
1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भगवानदत्त शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3. पैरोकार राज

—:: निर्णय ::— दिनांक :05/11 /2024

शिकायत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 सुरेन्द्र सिंह ने चक 226 आरडीआर का पत्थर न. 173/45 का किला न. 16—17, 23 ता 25 का 5.00 बीघा कमाण्ड भूमि दिनांक 10.07.1984 को आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ से पुख्ता आवंटन करवा ली। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त रकबा गलत तथ्य पेश कर राज्य को धोखा देकर व सही तथ्य छिपाकर आवंटित करवाया है। आवंटन वाली दिनांक को रकबा आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं था। चूंकि यह रकबा प्रार्थी के कब्जा काश्त में था व इस रकबा को पुख्ता आवंटन करवान हेतु प्रार्थी को अन्तर्गत धारा 13 (5) सी के सक्षम घोषित किया हुआ है। अप्राथी का पेशा भी काश्तकारी नहीं है वह शुद्व रूप से मेडिकल की दुकान चलाता है। अप्रार्थी संख्या 01 उक्त रकबा आवंटन करवाने का पात्र नहीं था। आवंटन अधिकारी द्वारा अप्राथी को गलत आवंटन किया गया था। यही रकबा पहले प्रार्थी को 2000/— रूपये प्रति बीघा के हिसाब से ही यह रकबा आवंटन किया गया। जिससे सरकार को हजारो रूप्यो का नुकसान पहुंचा है। जैर प्रकरण रकबा आवंटन होने के समय इसी चक के पत्थर न. 173/46 का किला न. 3 ता 10 की 8.00बीघा रकबा राज था जो इसके चिपता हुआ था जिससे यह कुल रकबा राज 13.00 बीघा के करीब था। जिससे यह रकबा स्मालपेच की परिभाषा में नही आता था। इस कानूनी बिन्दु का अनदेखा करते हुए यह आवंटन पूरी तरह से गैर कूननी करवाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 का आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ बिश्नोई हाजिर आये। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा, अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकर राज हाजिर आये। अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद पर्याप्त सूचना के भी अनुपस्थित रहे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि शिकायत मीमो. में अंकित तथ्य ही मेरी बहस है। अप्रार्थी सुरेन्द्र सिंह ने तथ्यों को छिपाकर आवंटन करवाया है साथ ही वह सदभावी कृषक नहीं है। उसका पेशा दुकानदारी है। इसलिए सुरेन्द्र सिंह को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.19 12:20:07 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)
1065

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने दौराने बहस कथन किया कि हस्तगत शिकायत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है, जो कतई चलने योग्य नहीं है। मुझ अप्रार्थी को उक्त रकबा दिनांक 10.07.1984 को आवंटन हुआ था। मुझ अप्रार्थी द्वारा श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सर्तकता) एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील संख्या 83/83 अनवान सुरेन्द्र सिंह बनाम किशनलाल पेश की गई जो दिनांक 06.07.1984 को मेरे पक्ष में निस्तारित की गई। तत्पश्चात इसी रकबा एवं इसी आवंटन के संबंध में एक शिकायत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष प्रकरण संख्या 91/98 अनवान बृजलाल बनाम सुरेन्द्र सिंह आदि पेश हुई जो दिनांक 31.03.1998 को मुझ अप्रार्थी के विरूद्व निर्णित हुई। जिससे व्यथीत होकर मुझ अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 43/98 सुरेन्द्र सिंह बनाम बृजलाल आदि पेश की गई जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा विस्तृत रूप से प्रत्येक बिन्दु को विश्लेषित करते हुए दिनांक 26.06.2003 को निर्णय पारित करते हुए मेरी अपील स्वीकार करते हुए आवंटन सही माना गया। उक्त रकबा के संबंध में व मुझ अप्रार्थी के आवंटन के संबंध में कई बार-बार अपीले शिकायते हुई जिनका अन्तिम निर्णय मुझ अप्रार्थी संख्या के पक्ष में हुआ है। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा राज्य पक्ष की ओर से माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में रिट याचिका संख्या 8319/2010 पेश की गई जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.05.2011 को निरस्त कर दी गई। इस प्रकार बार-बार अप्रार्थी सुरेन्द्र कुमार के विरूद्व आधारहीन शिकायते मात्र रंजिशन पेश की जा रही है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2012 पेज 532 निर्णय दिनांक 27.03.2012 एवं निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर आरबीजे 2016 पेज 603 निर्णय 24.0.201 पेश किये। जिनमें यह माना गया है कि एक बार शिकायत का निर्णय होने पर बार-बार उसी बिन्दु पर पुनः विचारण किया जाना रेस्ज्यूडीकेटा के अन्तर्गत निषेध है। इस आधार पर प्रार्थना पत्र शिकायत निरस्त करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी संख्या 02 पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलबध दस्तावेजात का गहतना से अध्ययन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में पूर्व में ही राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर ने विस्तृत निर्णय पारित करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में निर्णय पारित किया है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा भी अपीलांट के पक्ष में निर्णय पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है तथा आदेशिका दिनांक 06.12.2014 द्वारा जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/11/2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.19 12:20:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner